

पचा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 44/2025

अनवान :-

1. मोहनलाल पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. राजेश कुमार पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. अंकित कुमार पुत्र राजेश जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. मनीराम पुत्र तिलोकाराम जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. सावत्री पुत्री मनीराम पत्नी बंशीलाल जाति जाट निवासी नथौर तहसील रानियां जिला सिरसा।
3. पूनम पुत्री राजेश पत्नी संदीप कुमार जाति जाट निवासी 3 एलएलजी चक कैरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. टीनू पुत्री राजेश जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा

88,53 राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955

उपरिस्थिति:-1 अधिवक्ता श्री महेश गौड़

:-वादीगण

2 अधिवक्ता श्री सुनील शर्मा

:-प्रतिवादीगण


डिक्री

दिनांक...20/2/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष चकील वादीगण श्री महेश गौड़ व सुनील शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर राबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चकनं० 3 आर डबल्यू डी के खाता सं० 37/36 में अंकित कुल 16.953 है० आराजी मे से प्रतिवादी सं० 1 मनीराम के 4133/16953 हिस्सा मे से 2.572 है० आराजी का वादी सं० 1 मोहनलाल को तथा 1.561 है० आराजी का वादीगण सं० 2 राजेश कुमार व वादी सं० 3 अंकित कुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं० 3 आर डबल्यू डी के खाता सं० 37/36 में से प्रतिवादी

सं0 1 मनीराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/2/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(सत्यम सहायक एवं
उपस्थान अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी